

**चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ**  
**Ch. Charan Singh University, Meerut**



पत्रांक : सम्बद्धता/३५७२  
 दिनांक : १६ फरवरी, 2009

सचिव,

सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज,  
 हापुड, गाजियाबाद।

महोदय,

उपसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या- सम्ब०- 3011 / 71- 3- 07-एन-107 / 06, दिनांक 04.11.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज, हापुड, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से शैक्षिक सत्र 2008-2009 हेतु एक वर्ष के लिए अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इगित समस्त कमियों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-यू-12012 / 506 / 2007-एम०ई०-(पी-२) दिनांक 15.07.2008 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा कार्यपरिषद की स्वीकृत प्राप्त कर लेंगे।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मैडिकल कालिज में प्रवेश के माध्यम / विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज, हापुड, गाजियाबाद को एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

मंवदीय,

कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमीटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/319  
दिनांक : 22/2/2010

सचिव,

सररपती इंस्टीट्यूट ऑफ मैटिकल साइंसेज,  
हापुड़ (गाजियाबाद)

महोदय,

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-5375/71-3-09-एन-107/06, दिनांक 16.12.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उम्रो ३० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की घारा-37(2) के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैटिकल साइंसेज, हापुड़, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से शैक्षिक सत्र 2009-2010 हेतु एक वर्ष के लिए अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 1 संस्था निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-यू-12012 /506/2007-एम०इ०-(पी-2) दिनांक 13.07.2009 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा कार्यपरिषद की स्वीकृत प्राप्त कर लेंगे।
- 2 संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की घनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मैटिकल कॉलेज में प्रवेश के माध्यम/ विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3 संस्था भावनिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण च०३० को प्रवेशित अस्थायियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
- 4 संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
- 5 संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैटिकल साइंसेज, हापुड़, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से शैक्षिक सत्र 2009-2010 हेतु एक वर्ष में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेगे।

भवदीय,

मृदुल सचिव

प्रतिलिपि :

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनाथ।
2. प्रभारी, कैमटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाथ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाथ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाथ प्रेषित।



सचिव,

सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,  
एन०एच०-२४, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड़  
गाजियाबाद

पत्रांक : सम्बद्धता/२०  
दिनांक : २१।।।२०।।

महोदय,

विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुसाग-३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-२८०७(१) /७१-३-  
१०-एन-१०७ /०६, दिनांक २३.०९.२०१० का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य  
विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००७ द्वारा प्रदत्त अधिकार के वहत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,  
१९७३ की धारा-३७(२) के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एन०एच०-२४, अनवरपुर,  
पिलखुवा, हापुड़ गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अंतर्गत स्ववित्त पोषित योजना के  
अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षिक सत्र २०१०-२०११ हेतु  
दिनांक ०१.०७.२०१० से एक वर्ष के लिए सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

१. संस्था निरीक्षण आया एवं प्रपत्र दी में इगत समर्त कमियों एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या-३४(४१)/२०१०-मैड, दिनांक १३.०७.२००९ में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा कार्यपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे।
२. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की घनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये ये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
३. संस्था गहनानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित विद्यार्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उनके उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
४. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई० ऐग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
५. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एन०एच०-२४, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड़ गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अंतर्गत स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षिक सत्र २०१०-२०११ हेतु दिनांक ०१.०७.२०१० से एक वर्ष के लिए सम्बद्धता की पूर्णानुभाव प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

प्रतिलिपि ८/११/१

कुलसचिव

१. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
२. प्रभारी, कमीटी सैल, धौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।
३. प्रभारी, स्टोर, धौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।
४. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, धौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।



पत्रांक : सम्बद्धता/6056  
दिनांक : 6.2.2012

सचिव,

सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,  
हापुड़, गाजियाबाद

महोदय,

अनुसचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-3150/71-2-11-एन-107/06, दिनांक 23.09.2010 का सदर्म ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़ गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अंतर्गत स्ववित पोषित योजना के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-2012 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या-34(41)/2011-मेड/19467 दिनांक 25.06.2011 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की घनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या-34(41)/2011-मेड/19467 दिनांक 25.06.2011 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत सासनादेशों के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत सासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

आदेशानुसार सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़ गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अंतर्गत स्ववित पोषित योजना के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-2012 हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

महोदय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृतं कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेटी सैल, धौधरी घरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, धौधरी घरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, धौधरी घरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
7. गार्क फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृतं कुलसचिव

शिवराम त्रिपाठी,  
अनु सचिव  
उ०प्र० शासन।

सेवा मे,  
कुलसचिव,  
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

चिकित्सा शिक्षा अनुमान-२

विषय:-सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, एन०एच०-२४, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुङ गाजियाबा को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम०बी०बी०एस० पाठ्यकम (१०० सीट हेतु) में शैक्षि सत्र २०१२-१३ हेतु दिनांक ०१-७-२०१२ से सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सम्बद्धता/२६४२, दिनांक ०८.११.२०१२ के संदर्भ में मुझे यह कहने क निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००७ द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुङ गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यकम मे १०० सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षि सत्र २०१२-१३ हेतु (दिनांक ०१-७-२०१२ से) सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

१. संस्था निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या-३४ (४१)/२०१२-मे०/१११६५२, दिनांक १५-०६-२०१२ में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथ कार्यपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर लेगे।
२. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की घनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बंध में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
३. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अध्यार्थियों एवं चिकित्यों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी तथा इस सम्बंध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेंगी।
४. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरांत ही करायी जायेगी।
५. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बंधित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

मवदीय,

(शिवराम त्रिपाठी)  
अनु सचिव

संख्या-४०४९ (१)/७१-२-१२-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १.उप सचिव, बोर्ड आफ गवर्नर्स इन सुपर सेशन आफ मेडिकल कार्चसिल आफ इण्डिया, पॉकेट-१४, सेक्टर-४, द्वारका फेस-१, नई दिल्ली।
- २.महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
- ३.अध्यक्ष, सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुङ गाजियाबाद।
४. गार्ड फाइल।

अ०प्र०-१२०१२  
(शिवराम त्रिपाठी)  
अनु सचिव



पत्रांक : सम्बद्धता/128/  
दिनांक : 25.6.2014

### सम्बद्धता आदेश

शासन के पत्र संख्या-4305(1)/71-2-13-एन-107/06, दिनांक 03.01.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एनोएच०-२४, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड़ (गाजियाबाद) को स्नातक स्तर पर संचालित एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्वित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 (दिनांक 01.07.2013) से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या-एम०सी०आई०-३४(१)/२०१३-एम०ई०जी०/२९०४६, दिनांक 23.08.2013 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की घनराशि ही छात्रों से लेगी तथा भैडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या-एम०सी०आई०-३४(१)/२०१३-एम०ई०जी०/२९०४६, दिनांक 23.08.2013 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
4. संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या-एम०सी०आई०-३४(१)/२०१३-एम०ई०जी०/२९०४६, दिनांक 23.08.2013 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
5. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एनोएच०-२४, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड़ (गाजियाबाद) को स्नातक स्तर पर संचालित एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्वित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 (दिनांक 01.07.2013) से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
  2. सचिव, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एनोएच०-२४, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड़ (गाजियाबाद)।
  3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
  4. प्रभारी, कर्मटी सैल, घौघरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
  5. प्रभारी, स्टोर घौघरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
  6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, घौघरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करे। गार्ड फाइल हेतु।

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)  
१०८